संख्या : 46/2019/745/छप्पन-19-93/18

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 04 अप्रैल, 2019

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन व्यवस्थित अनुदान की धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी/1/170/दस-2019/231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आवंटित बजट के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) किये जाने के निर्देश दिये गये हैं (प्रतिलिपि संलग्न), के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में नागरिक उड्डयन विभाग की अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा पक्ष के लेखा शीर्षक ''2070'' ''2203'' तथा ''3053'' के अधीन संलग्न विवरणों के अनुसार इंगित लेखा शीर्षकों के मदवार लघु इकाईयों में क्रमश: रू0 41,79,07,000/- रू0 2,66,99,000/- एवं रू0 1,58,50,00,000/-अर्थात् कुल रूपये 2,02,96,06,000/- (रूपये दो अरब दो करोड़ छियानबे लाख छ: हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि को आवश्यकतानुसार वचनबद्ध मदों के लिये उक्त शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय किया जाये तथा व्यय के लिए जहां आवश्यक हो नियमानुसार शासन का सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

पृ0सं0 : 46/2019/745(1)/छप्पन-2019-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0 ।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- नियोजन अनुभाग-4
7- निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।